

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता० _____ से _____ तक

अंचल - बालूमाथ, जिला - लातेहार वाद सं०- 05 / 2022-23

केस का प्रकार- क्रिमिनल वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
31-1-23	अवेदिका पुनर्गठन केंद्रों प्रधानाध्यापिका सौ मूलो मध्य विद्यालय गीर्जा बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि। गीर्जा कक्षाओं के ८९ छात्राओं ६९ ब्लॉक नं०-१५६। रकबा ५० डिग्रीलूम भूमि का केवाला करवाया १९०५ दिनांक १७.१०.१९९२ द्वारा ग्राम निपराकत मजदूर एसिड वर्ष २०१४-१५ तक निर्धारित है। हाल सर्वे स्वनिर्माण के आधार पर खजाना ४५ ब्लॉक २०६ बना है। जिसका रजिस्टर बांध पिसा रखु साथ के लीलाकरी देवी प्रति अवधारा पासकत देवकी पासकत पिसा कुमुदा गाम सभी ग्राम+पौ- बालूमाथ द्वारा कालिंद एसिड निर्धार कर लिया गया है। एवं भूमि पर नारे-बंदी कर दी गई है। उनके जमावदों को बढ़ करी डुरु	

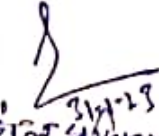
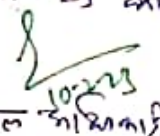
कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ

आदेश पत्रक

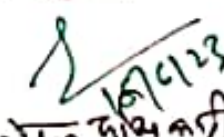
आदेश पत्रक - ता० _____ से _____

अंचल - बालूमाथ, जिला - लातेहार वाद सं०- 05 / 2022-23

केस का प्रकार-

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	सं ग बा त
1	2	
	एतद् भूमि मध्य विद्यालय के माग अभावों प्रथम करीब के आवेदन पर वाद की प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्ष के तैयारी करे। उभय पक्ष अपने-अपने दायरे के समर्थन में राजस्व कर्मियों के साथ उपस्थित रहेंगे। अतिरिक्त दिनांक 10.2.23 से उपस्थित करें।  अंचल अधिकारी बालूमाथ अतिरिक्त उपस्थित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष का लेखा लाइन इन हेतु लक्ष्य की मांग की जाती। द्वितीय पक्ष को लक्ष्य की जाती है। अतिरिक्त दिनांक 28.2.23 को करें।  अंचल अधिकारी बालूमाथ	

10-2-23

आदेश की क्र० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5-06-2023 15.6.23	अभिलेखों उपस्थापित । उभय पक्ष दायजादिमें वाद की सुनवाई नहीं हो सकी । अभिलेख दिनांक 15.06.2023 की उपस्थापित की है।  अंशल अधिकारी बालू मारा अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष जामिन । वाद के दस्तावेज भूमि की झेदारी पत्रावली काम में होने कारण बिना पानी अभी है । यदि झेदारी पत्रावली दायजा अधिकारी बालूमान के बका से काम में अभी है । इन इलाकों विधि में उचित प्रति नहीं होता है । उभय पक्ष इस वाद में दायजा पक्ष DCLR मामला लाईहा के दायजा है । तभी अभिलेख को DCLR लाईहा मामला को हस्तगत कराए बका उभय पक्षों को सुचीत करी बाद भी कारवाई तत्पक्ष की नहीं है।  अंशल अधिकारी बालूमान	